



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- १५६२/१२५० दिनांक, देहरादून, २९, दिसम्बर 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/126434/2021 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेट-कण्डोई-मदर्सू मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ :

भारत सरकार की पत्र सं०-०८बी/यूसी०पी०/०६/१२६/२०२१/एफ०सी०/१२८२ दिनांक 28.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के पत्रांक 1583/12-1 दिनांक 23.12.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	As per DSS analysis of the CA area which is proposed in Degraded Forest Land (DFL), the proposed area is overlapping with proposal no. FP/UK/Road/41707/2018. The State Govt is requested to change the area with some other area suitable for raising CA.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्य उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर संबंधित सूचना ऑनलाईन भाग-। में यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
2	It is seen that justification uploaded online in Part-I is sketchy. It is requested to upload a clear/legible scanned copy of the justification in Part-I mentioning the distance of the village from the existing road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित प्रतिवेदन ऑनलाईन भाग-। में यथास्थान संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	राज्य शासन लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी का प्रमाण-पत्र ऑनलाईन भाग-। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है।
4	In view of the point No. 01 above, if the revised CA area will be proposed in DFL. State Govt. is request to remove the details from para-L and Part-I which is designated for CA area proposed in Non-Forest Land.	प्रस्तावक विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वन भूमि उपलब्ध न होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु degraded वन भूमि प्रस्तावित की गई है।
5	It is seen that details of 83 trees and 15 saplings found uploaded at para 4 in part-II. However, in प्रारूप-21 it is submitted that number of trees proposed to be felled are 37 in 7 mtr width. State Govt. may clarify.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन भाग-। में यथास्थान अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के प्रारूप-21 में तीन कक्षों (उ०विन्हार-1बी में 20 वृक्ष, उ०विन्हार-2 में 26 वृक्ष एवं उ०विन्हार-3 में 37 में कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में ०-१० व्यास वर्ग के 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
6	It is seen that estimate of Rs. 22,22284/- uploaded for road side plantation. It is inform that only CA scheme is applicable.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग-। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है।
7	Work not start certificate not found uploaded, which is required to be uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ न होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन भाग-। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है।

क्र.	आपत्ति	निराकरण
8	Site Inspection Report (SIR) or DFO and CF uploaded online are not legible and properly scanned. A clear/legible scanned copy of the SIR of DFO and CF is requested to be uploaded at designated places in Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति आँनलाईन भाग-॥ में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहसदून।

पत्रांक ।५६७/।४५०। तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उनके उक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहसदून।